दी कोटा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,कोटा।

**THE KOTA CENTRAL CO-OP. BANK LTD., KOTA**

Head Office - OCF 1, Sector-B, Shrinathpuram, Kota (Raj.)- Ph. 0744-2380693

E-mail- kccb.dev@rajasthan.gov.in/ Website- ccbkota.com

क्रमांक: KCCB/M(D)/2023-24/........5700 दिनांक : 2/01/2024

## आदेश

मियादी अमानतों/आर्वतक अमानतों पर ब्याज दरों के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एम(डी)/2022–23/5114–5148 दिनांक 16.03.2023 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार ब्याज दरें निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 10.01.2024 से प्रभावी रहेगी :–

| जमा अवधि | दिनांक 10.01.2024 से प्रभावी नवीन ब्याज दरें |
|---|---|
| 15 दिन से 29 दिन तक | 5.50 |
| 30 दिन से 45 दिन तक | 5.50 |
| 46 दिन से 70 दिन तक | 7.00 |
| 71 दिन से 90 दिन तक | 7.00 |
| 91 दिन से 180 दिन तक | 6.50 |
| 181 दिन से 270 दिन तक | 6..50 |
| 271 दिन से 1 वर्ष से कम | 6.75 |
| 1 वर्ष तक | 7.75 |
| 1 वर्ष से अधिक 599 दिन तक | 7.50 |
| 600 दिन से 2 वर्ष तक | 7.50 |
| 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक | 7.25 |
| 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | 7.25 |
| 5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक | 7.25 |

1. 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रू0 50000/– या इससे अधिक मियादी अमानत में जमा कराने पर ही ब्याज दर से 0.50% ब्याज दर अधिक देय होगी। वरिष्ठता का लाभ केवल मियादी अमानत पर ही देय हैं।
2. मासिक आवर्तक जमा पर भी वरिष्ठता एवं स्टॉफ का ब्याज दर भी मियादी अमानत की तरह लागू होगी।
3. बैंक स्टाफ के लिये रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपरोक्त दरों से एक प्रतिशत (1 %) ब्याज दर अधिक देय होगी।
4. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बचत खातों पर ब्याज दर 3.50 % देय होगी।

5. समय पूर्व मियादी अमानत के भुगतान पर जमा अवधि पर लागू ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज दिया जावेगा। अगर खातेदार द्वारा राशि न निकालकर पुनः राशि विनियोजित की जाती है तो किसी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।
6. उपरोक्त ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रबन्ध निदेशक के साथ वरिष्ठ प्रबन्धक (परिचालन)/(विकास)/निरीक्षण एवं मुख्य प्रबंधक की संयुक्त सहमति उपरान्त ही किया जा सकेगा।
7. ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत् मिनी बैंकों को मियादी अमानतों पर व्यक्तिगत ब्याज दर से प्रत्येक स्लेब पर 0.30% अधिक ब्याज दर देय होगी।
8. अन्य सहकारी संस्थाओं को निम्नानुसार ब्याज देय होगा –
    1. एक करोड रूपये से 2 करोड रूपये तक की मियादी अमानत जमा कराने पर एक वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लैब पर 0.05 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय होगा।
    2. दो करोड रूपये से अधिक की मियादी अमानत जमा कराने पर एक वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लैब पर 0.10 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय होगा।

Sd/-
प्रबन्ध निदेशक

दिनांकः– 02/01/2024

कमांकः– एम.(डी)/2023–24/5701-5727

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय, दी राजस्थान स्टेट को–ऑप0 बैंक लि0, जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, कोटा खण्ड कोटा।
4. श्रीमान् क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, दी राजस्थान स्टेट को–ऑप0 बैंक लि0, कोटा।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (परिचालन)/(निरीक्षण)/(कार्मिक व प्रशा.)/(विकास)/प्रभारी अधिकारी स्टोर/विधि/वसूली/ व्यवस्थापक प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय, कोटा।
6. शाखा प्रबन्धक/ऋण पर्यवेक्षक/शाखा – .... .... .... .... ...
7. सी.बी.एस./नोडल प्रभारी, बैंक को भेजकर लेख है कि सी.बी.एस. सोफ्टवेयर में ब्याज दरें संशोधित कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

2/1/2024
प्रबन्ध निदेशक